रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 13.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

वर्ष 33] शिमला, शनिवार, 18 मई, 1985/28 वैशाख, 1907 [संख्या 20

विषय-सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	464
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	464—466 तथा 472
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, कांइनेन्शल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम-टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	467
भाग 4	स्थानीय स्वायत शासन, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	467—472
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

18 मई, 1985/28 वैशाख, 1907 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं:—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या पी० सी० एच०-के० जी० आर०-5/36-1827-34, दिनांक 13 मई, 1985.	कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	ज़िला कांगड़ा की कतिपय ग्राम सभाओं के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का पुनर्निर्धारण ।
संख्या एस० एच० जी० 6-एफ० (7)2/81, दिनांक 10 मई, 1985.	आवास विभाग	महाल चमयाण, तहसील व जिला शिमला में बहूद्देशीय मार्किटिंग कम्प्लैक्स भट्टाकुफर तथा अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण, इसके प्राधिकृत अंग्रेजी रूपान्तर सहित ।

भाग 1–वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनायें इत्यादि

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 अप्रैल, 1985

संख्या गृह (ए) एफ (13)-9/84.—यतः केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र प्रयोजन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्या 1) के अधीन भू-अर्जन कार्य राज्य सरकार को भारत सरकार के गृह मन्त्रालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या एफ0 25 (5) 57 जे0-II, दिनांक 20-2-57 द्वारा सुपुर्द किये हैं, और यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार की दीपक परियोजना की सरकारी व्यय पर माहलों के जुब्बड़ नामक स्थान जो कि पुलिस बैरियर, शिमला के नजदीक है पर प्रतिरक्षा कर्मियों के आवास भवन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है । अतएवं एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं को जानकारी हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला ऐक्ट) की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों तथा श्रमिकों को इस क्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने तथा उक्त धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त क्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला, जिला शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरण

जिला: शिमला तहसील: शिमला

ग्राम	खसरा नं0	रकबा बी0	रकबा बि0
1	2	3	4
माहलों का जुब्बड़	1	8	4
	2	0	9
	3	0	13
	4	0	2
	5/2	10	13
	6/3	2	9
	7	0	7
	8	0	5
	9	0	3
	10	0	11
	11/2	4	13
	12	2	12
	19	0	7
	34	0	12
	35	6	12
	43	0	4
जोड़		38	16

आदेश द्वारा,
अमर नाथ विद्यार्थी,
सचिव ।

भाग-2–वैधानिक नियमों को छोड़कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और ज़िला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

पंचायत विभाग

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

निलम्बन आदेश

धर्मशाला, 2 मई, 1985

संख्या 1599-पंच.—क्योंकि श्री महेन्द्र सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत घुरकाल, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा ने दिनांक 24-11-84 को ग्राम पंचायत के अंकेक्षण की सूचना प्राप्त होने के बावजूद पंचायत का रिकार्ड पंचायत घर से उठा कर अपने घर ले गए और रिकार्ड का अंकेक्षण नहीं करवाया ;

और यह कि उक्त प्रधान को पंचायत के रिकार्ड का चार्ज नियमानुसार पंचायत सचिव को सौंपने हेतु इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस, आदेश संख्या पो0सी0एच0-के0जी0आर0-417 दिनांक 21-1-84 को दिया गया, परन्तु उन्होंने फिर भी रिकार्ड नहीं सौंपा और न ही उक्त नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया ;

और यह कि खण्ड विकास अधिकारी देहरा ने अपने पत्र संख्या 3901, दिनांक 19-3-85 द्वारा सूचित किया कि प्रधान कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने में टाल मटोल कर रहा है और उनके विरुद्ध आगामी कार्यवाही की सिफारिश की है ।

अतः मैं, टी0सी0 जनार्था, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्री महेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, घुरकाल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा को प्रधान पद से तत्काल निलम्बित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि वह अपने पद का कार्यभार शीघ्र ही उप-प्रधान को सौंप दें।

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 2 मई, 1985

संख्या 1594-पंच.—क्योंकि श्री नरेश कुमार, पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड पंचरूखी ने अपने निरीक्षण पत्र बाबत अवधि 1-4-83 से 30-9-84 में लिखा है कि श्री रणजीत सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत, ठंडोल ने मुबलिग 19598 रुपए 30 पैसे सभा फण्ड की राशि, निदेशक पंचायती राज हिमाचल प्रदेश शिमला के निर्देशों के विपरीत सहकारी सभा में जमा की है तथा उसे इस राशि को वहां से निकाल कर डाकघर में जमा करवाने हेतु लिखा गया था । इस बारे प्रधान ने लिखित आश्वासन भी दिया कि वह 28-2-85 से पूर्व राशि डाकघर में जमा करवा देगा ;

और यह कि उक्त आश्वासन के बावजूद भी आपने राशि डाकघर में जमा नहीं करवाई है, परन्तु पंचायत निरीक्षक द्वारा छानबीन करने पर पाया गया कि जिस सहकारी बैंक में राशि जमा दर्शायी है, यह सभा अस्तित्व में ही नहीं है । जिससे स्पष्ट होता है कि पंचायत के रिकार्ड में रखी गई पास बुक एक झूठा दस्तावेज है और राशि का अपहरण किया गया है ;

और यह कि आपको बार-बार कहने व आप द्वारा प्रस्तुत लिखित आश्वासनों के बावजूद भी आप राशि सभा फण्ड में जमा करवाने में असमर्थ रहे हैं । इस लिए पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत आप दोषी पाए गए हैं जिसके लिए आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी अनिवार्य है ।

अतः मैं, टी0सी0 जनार्था, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम 1971 के नियम 77 के

अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्री रणजीत सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत ठंडोल, विकास खण्ड पंचरूखी को आदेश देता हूं कि इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर सभा फण्ड की राशि मुबलिग 19598 रुपये 30 पैसे जमा करवा दी जाए तथा यह भी सूचित किया जावे कि उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अधीन आगामी कार्यवाही क्यों न अमल में लाई जावे। आपका उत्तर इस कार्यालय में निर्धारित अवधि के भीतर पहुंचना अनिवार्य है अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको इसी पक्ष में कुछ नहीं कहना है अतः एकतरफा कार्यवाही की जायेगी।

टी० सी० जनार्था,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा

कार्यालय आदेश

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I-2123-2126.—ग्राम पंचायत निचार, विकास खण्ड निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक, 7-12-84 द्वारा निचार में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त है, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार निचार के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम निचार में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत निचार धारा 18(1) (एफ) हि०प्र० पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I-2127-2130.—ग्राम पंचायत तरांडा, विकास खण्ड निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 2/84, दिनांक 1-11-84 द्वारा तरांडा में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जोकि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त है, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार तरांडा के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम निगुलसारी में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत तरांडा धारा 18(1) (एफ) हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रल, 1985

संख्या कनर-100/63-I.—ग्राम पंचायत ठंगी, विकास खण्ड पूह, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर न प्रस्ताव संख्या 5, दिनांक 9-1-85 द्वारा ठंगी में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्री वास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त है मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार ठंगी के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम ठंगी में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत ठंगी धारा 18(1) (एफ) हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I.—ग्राम पंचायत आसरंग, विकास खण्ड पूह, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर न प्रस्ताव संख्या 6, दिनांक 12-1-85 द्वारा आसरंग में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार आसरंग के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम आसरंग में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत आसरंग धारा 18(1) (एफ) हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I.—ग्राम पंचायत पांगी, विकास खण्ड कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 11, दिनांक 22-11-84 द्वारा पांगी में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशुफाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 19 71 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार पांगी समस्त ग्रामों के लिए ग्राम पांगी में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत पांगी धारा 18(1) (एफ) हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I.—ग्राम पंचायत बरुआ, विकास खण्ड कल्पा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर न प्रस्ताव संख्या I दिनांक 18-10-84 द्वारा बरुआ में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार बरुआ के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम बरुआ में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत बरुआ धारा 18(1) (एफ) हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I.—ग्राम पंचायत सापनी विकास खण्ड कल्पा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 20-8-84 द्वारा सापनी में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त है, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार सापनी के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम सापनी में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत सापनी धारा 18(1) (एफ) हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I-2083-86.—ग्राम पंचायत बरी, विकास खण्ड निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 5/84 दिनांक 26-9-84 द्वारा बरी में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार बरी के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम बरी में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत बरी धारा 18(1) (एफ) हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I-2087-90.—ग्राम पंचायत पानवी, विकास खण्ड निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर न प्रस्ताव संख्या 4, दिनांक 20-10-84 द्वारा पानवी में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार पानवी के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम पानवी में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत पानवी धारा 18(1) (एफ) हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I-2091-94.—ग्राम पंचायत नातपा, विकास खण्ड निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 4, दिनांक 29-10-84 द्वारा नातपा में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार नातपा के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम नातपा में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत नातपा धारा 18(1) (एफ) हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I-2095-98.—ग्राम पंचायत छोटा-कम्बा, विकास खण्ड निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 2, दिनांक 7-11-84 द्वारा छोटा-कम्बा में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार छोटा-कम्बा के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम छोटा-कम्बा में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत छोटा-कम्बा धारा 18(1) (एफ) हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I-2099-2102.—ग्राम पंचायत रामणी, विकास खण्ड निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 25-10-84 द्वारा रामणी में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्री वास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटकअवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्तहैं, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार रामणी के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम रामणी में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत रामणी धारा 18(1) (एफ) हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I.—ग्राम पंचायत रुपी, विकास खण्ड निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 30-10-84 द्वारा रुपी में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार रुपी के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम मंजगांव व शिगारथ में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत रुपी धारा 18(1) (एफ) हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I-2107-2110.—ग्राम पंचायत चगांव, विकास खण्ड निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 4, दिनांक 8-12-84 द्वारा चगांव में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलाडण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार चगांव के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम चगांव में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत चगांव धारा 18(1) (एफ) हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I-2111-2114.—ग्राम पंचायत यंगपा, विकास खण्ड निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 1, दिनांक 25-10-84 द्वारा यंगपा में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार यंगपा के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम हुरी में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत यंगपा धारा 18(1) (एफ) हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I.—ग्राम पंचायत भावा, विकास खण्ड निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 16-11-84 द्वारा भावा में पशु फाटक को स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार भावा के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम कटगांव में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत भावा धारा 18(1) (एफ) हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

कल्पा, 23 अप्रैल, 1985

संख्या कनर-100/63-I-2119-2122.—ग्राम पंचायत पौंण्डा, विकास खण्ड निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 16-11-84 द्वारा पौंण्डा में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अतः मैं, विवेक श्रीवास्तवा, जिलादण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, मैं, ग्राम सभा क्षेत्राधिकार पौंण्डा के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम थानडः सुंगरा में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत पौंण्डा धारा 18(1) (एफ) हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

विवेक श्रीवास्तवा,
जिला दण्डाधिकारी,
किन्नौर।

In the Court of Shri S. Padmanabhan, District Magistrate, Una district, Una (H.P.)

Notice under section 26 of the Indian Police Act.

Whereas One Bicycle, One Plastic bag of Blue and White colour, one black pair of shoe, one Turban of green colour, one note of Rs. fifty, One tape Recorder lead and five casettes of Tape Recorder stand deposited in Police Post Mehatpur, Tehsil and District Una *vide* D.D. No.5 dated 3-4-1985.

Now, therefore, before taking further action in the matter I, S. Padmanabhan, District Magistrate, Una hereby issued public notice that any person claiming to be the owner of the above articles may prefer his claim in my office with such proof as he/she wishes to submit within six months of the publication of this notice.

Dated:
18-4-1985.

S. PADMANABHAN,
District Magistrate,
Una.

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-4, the 2nd May, 1985

No. 3-84/80-VS.—In exercise of the powers vested in him under section 7 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, the Speaker, Himachal Pradesh Legislative Assembly hereby makes the following rules to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Rules, 1971.

1. (*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) (First Amendment) Rules, 1985.

(*ii*) These rules shall come into force with effect from the 1st May, 1985.

2. *Substitution of proviso to Rule* 6.—The proviso shall be substituted as below:—

"Provided that claims on account of travelling, halting and incidental allowances of Members for attending the meetings of Committees appointed by Government shall be paid after these have been countersigned by the Secretary, Vidhan Sabha for encashment.".

By order,
V. VERMA,
Secretary.

भाग 4—स्थानीय स्वायत शासन : म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

शून्य

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Shri D. P. Sood, District Judge, Kangra at Dharamshala

Lunacy Act case No. 1 of 1985

Hira Lal son of Shri Paraga Ram, resident of Garh Sukkar, Tehsil and District Kangra ...*Petitioner.*

Versus

The general public and others ...*Respondents.*

Versus:

The general public

Whereas the above named petitioner has filed an application in this Court under sections 62, 63 and 71 of the Indian Lunacy Act, 1912 for the inquisition and declaration that Shri Haria son of Shri Sunder and Shri Mahesha son of Shri Gidru, caste Ghirth, residents of Garh, Tehsil and District Kangra, are lunatics and incapable of managing themselves and their property and other affairs and for the appointment of the applicant as Manager of the estate of the lunatics and guardian of their persons.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public of the Illaqa and the near relations of the above said lunatics to file objections, if any, for the appointment of the petitioner as Manager of the persons and property of the lunatics in this court on 13-6-1985 at 10.00 A.M. personally or through pleader or any authorised agent failing which the petition will be heard and disposed of *ex parte.*

Given under my hand and the seal of the court, this 23rd day of April, 1985.

D. P. SOOD,
District Judge,
Kangra at Dharamshala.

Seal.

In the Court of Shri R. K. Mahajan, District Judge, Shimla H.P.

G & W Act No. 3-S/2 of 1985

In case:

1. Satya Devi d/o Sihnu, aged 17 years.
2. Hema Vati d/o Sihnu aged 14 years.
3. Sita Ram s/o Sihnu aged 11 years.

Care of Shri Baldev Singh s/o Sihnu, Carriage Department Railway Station, Shimla ...*Petitioners.*

Versus

The general public

Petition under section 8 of Hindu Minority and Guardianship Act.

To

The general public.

Whereas in the above noted petition Shri Baldev Singh applicant has moved an application/petition under section 8 of the Guardian Act, for appointment of the guardian for settlement of payment dues in Railway department.

Notice is hereby given to the general public, relations of the minor (Petitioner No. 1 to 3) that if any body has any objection for the grant of Guardianship certificate to Shri Baldev Singh, son of Shri Sihnu Carriage Department Railway Station Shimla, Himachal Pradesh be filed in this Court on or before 27-5-1985 failing which the petition shall be heard and decided *ex parte.*

Given under my hand and the seal of the Court this 23rd day of April, 1985.

Seal.

Sd/-
Superintendent,
District and Sessions Judge, Shimla, H.P.

In the Court of Shri R. K. Mahajan, District Judge, Shimla, H. P.

Case No. SA-5-S/2 of 1985

In case:—

1. Mrs. Tripta Sharma wife of late Shri Om Parkash Gautam, r/o Kishore Cottage, Near Yodha Niwas, Shimla-1.
2. Mr. Pardeep Gautam, son of late Shri Om Parkash Gautam, aged about 17 years.
3. Mr. Sandeep Gautam, son of late Shri Om Parkash Gautam aged 16 years.
4. Miss Babita Gautam d/o late Shri Om Parkash Gautam aged about 14 years.
5. Mr. Rajeev Gautam son of late Shri Om Parkash Gautam, aged about 11 years.

All minors, through next friend and Natural Guardian Smt. Tripta Sharma mother of the petitioners r/o Kishore Cottage, Near Yodha Niwas, Shimla. ...*Petitioners.*

Versus

General public ... *Respondents.*

Application under section 372 of the Indian Succession Act for grant of Succession Certificate to the Petitioners.

To

The general public.

Whereas in the above noted petition the Petitioners Mrs. Tripta and others have applied for the grant of Succession Certificate and Debts and Deposits of late Shri Om Parkash Gautam, Kishore Cottage near Yodha Niwas, Shimla-1, Himachal Pradesh.

Notice is hereby given to the general public, relations and kinsman of the deceased Shri Om Parkash that if any body has got any objection the same be filed in this Court on or before 28-6-1985 failing which the petition shall be heard and decided *ex parte.*

Given under my hand and the seal of the Court this 23rd day of April, 1985.

Sd/-
Seal. *Superintendent,*
District and Sessions Judge, Shimla, H.P.

In the Court of Shri O. P. Sharma, District Judge, Una, District Una, Himachal Pradesh

Guardian and Wards Act Petition No. 4 of 1985

Jagan Nath s/o Mehmal Ram caste Tarkhan, r/o Village Dulehar Majra Hiran, Sub-Tehsil Haroli, Tehsil and District Una ...*Petitioner.*

Versus

1. Kamla Devi w/o Jagan Nath d/o Pritam Chand, caste Tarkhan at present r/o Village Pandori, Tehsil Garhshankar, P.S. Kotmere, District Hoshiarpur.
2. General public ... *Respondents.*

To

The general Public

Whereas in the above noted case the petitioner has moved an application under section 7 and 25 of Guardians and Wards Act for declaring guardian of Shri Vijay Kumar minor s/o Shri Jagan Nath and for return of custody of Shri Vijay Kumar to the petitioner.

Notice is hereby given to the general public, Kinsmen, relation of the minor that if any body has got any objection to permit the applicant to declaring guardian of Shri Vijay Kumar minor and for return of custody of Shri Vijay Kumar to the petitioner may also file the same in this Court on or before 19-6-1985 at 10 A.M. failing which the matter will be heard and decided *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the Court this 29th day of April, 1985.

O. P. SHARMA,
Seal. *District Judge,*
Una (H.P.).

In the Court of Shri B. D. Sharma, Senior Sub-Judge, Mandi District Mandi (H.P.)

In the matter of:—

Succession Act Case No. 8 of 1985

1. Smt. Jai Devi wd/o late Shri Ghanthu Ram, r/o Village Bah, P.O. Gagal, Tehsil Sadar, District Mandi ...*Petitioner.*

Versus

General public ...*Respondent.*

Application under section 372 of the Indian Succession Act for the grant of a succession certificate.

To

The general Public.

Whereas in the above noted petition the petitioner has moved an applicaion for the grant of Succession Certificate of late Shri Ghanthu Ram, r/o Village Bah, P.O. Gagal, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

Notice is hereby issued to the general public that any near relative or kinsmen of the deceased, may file objection if any, regarding the grant of Succession Certificate to the above named petitioner on or before 27-5-1985 at 10 A.M. after that no objection will be entertained.

Given under my hand and the seal of the Court this 22nd day of April, 1985.

B. D. SHARMA,
Seal. *Senior Sub-Judge,*
Mandi (H.P).

In the Court of Shri V. K. Gupta, Sub-Judge 1st Class, Amb, District Una

Civil suit No. 550 of 1984

Bhagtu son of Dyal caste Sirera, r/o Village Sagnai, Tehsil Amb, District Una *Plaintiff.*

Versus

1. Rania Ram s/o Gurdass Ram caste Sirera r/o Village Sagnai, Tehsil Amb, District Una etc. *Defendant.*

Suit for declaration

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of this Court that the above named defts. 2. Munshi Ram, 3. Bishan Dass, 4. Mast Ram sons of Gurdass Ram, 5. Mukhtiaro Devi wd/o 6. Kalan Devi, 7. Kashmir Devi, 8. Giano Devi ds/o Gurdass, all are Sirera by caste, 9.Smt. Prabh Devi, wd/o Munshi 10. Parmeshwari Dass, 11. Jamiat Singh, 12. Tara Chand 14. Fateh Singh, 15. Roshan Lal sons of Munshi, 16. Smt. Pritam Devi, 17. Shakuntla Devi ds/o Munshi, 18. Smt. Parwati wd/o Partapu, 19. Smt. Dhula Devi wd/o Milkhi 20. Nanak Chand 21. Jaswant Singh ss/o Milkhi 22. Baleela Devi d/o Milkhi, 23. Smt. Beelo, 24. Sheri, 25. Kalan ds/o Milkhi, 26. Natha Singh, s/o Khushia, 27. Dina s/o Shabjada, 28. Kumari Rama Devi, 29. Kumari Suman, 30. Kumari Gopan ds/o Dalipa, 31. Smt. Bimla wd/o Dalip Singh, 32. Karnail Singh s/o Dalip Singh r/o Village Sagnai, Tehsil Amb, District Una, cannot be served by way of ordinary process of service as the summons issued to the said defendants have been received back as unserved.

Hence this proclamation under order 5, Rule 20 C.P.C. is hereby issued to the above named defendants to appear in this Court on 31-5-1985 at 10 A.M. personally or through this authorised agent or pleader otherwise *ex parte* proceedings shall be taken against the said defendant.

Given under my hand and the seal of the Court this 24th April, 1985.

Seal. V.K. GUPTA,
Sub-Judge 1st Class,
Amb, District Una.

अदालती इश्तहार

(ज़ेर आर्डर 5, रूल 20, मजमूआ जाबता दिवानी)

ब अदालत जनाब राजेन्द्रा सिंह, कुलैक्टर सब-डिवीजन घुमारवीं, ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0	तारीख दायर	मौजा	परगना
47/83	20/7/83	करलोटी	सुनहाणी

शालीगराम पुत्र तोता राम, गांव सुनाली, परगना सुनहाणी, तहसील घुमारवीं, ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ..अपीलांट ।

बनाम

1. सुखदेव पुत्र सुन्दर गांव करलोटी, परगना सुनहाणी, तहसील घुमारवीं, ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश । ..रस्पौंडेन्ट
2. वकसी पुत्र लैहनू, गांव बदाघाट, परगना तियून, तहसील घुमारवीं, ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।
3. शिव दिता
4. शंकर
5. देवी राम
6. देवराज पुत्र तोता राम
7. ब्रह्मी देवी पुत्री चंदू

} पुत्रान हीरू, गांव सुनाली, परगना सुनहाणी, तहसील घुमारवीं, ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

8. प्रेमी पत्नी देवी सरन गांव छत
9. दुरगी पत्नी जगननाथ, गांव बरठी

} परगना सुनहाणी, तहसील घुमारवीं ।

10. पारवतू पत्नी रूपलाल, गांव कुरनाडी, परगना अजमेरपुर, तहसील, घुमारवीं, ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।
11. मुस्मात निक्की उर्फ गीता विधवा मुनशी राम, गांव दहल तहसील व ज़िला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ।
12. मु0 कौशल्या विधवा रूबालू राम, गांव बरठी, परगना सुनहाणी, तहसील घुमारवीं, ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . तरतीबी रैस्पोंडैन्ट ।

रिवीजन पैटीशन अधीन धारा 17 हिमाचल प्रदेश लैण्ड रैवेन्यू ऐक्ट बनाराजी, फैसला सहायक, समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), घुमारवीं, दिनांक 6-7-83.

मुकद्दमा मुन्द्रजा बाला में रिस्पोंडैन्ट नं0 10 मु0 पाखतू पत्नी रूपलाल, गांव कुरनाडी, परगना अजमेरपुर, तहसील घुमारवीं, ज़िला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश व रैस्पौंडैन्ट, नं0 11 मु0 निक्की उर्फ गीता विधवा मुनशी राम, गांव बदल, तहसील व ज़िला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, के नाम अदालत हज़ा से कई बार समन जारी

किये गये मगर बिना तामील वापिस आये। साधारण तरीके से (समन द्वारा) तामील होनी कठिन है इसलिए बजरीया इश्तहार हजा से उपरोक्त रिस्पोंडैन्टज नं0 10 व 11 को सूचित किया जाता है कि दिनांक 12-6-1985 को प्रात: 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत मुकाम घुमारवीं आवें। गैरहाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 6-5-85 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

मोहर। राजेन्द्रा सिंह,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
घुमारवीं, हिमाचल प्रदेश।

अदालती इश्तहार

न्यायालय श्री अमर चन्द प्रेमी, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी भटियात, जिला चम्बा

चतरो पुत्र राम दित्ता, ग्राम तरगंडा, परगना सियुन्ता, तहसील भटियात, जिला चम्बा बजरीया राज कुमार मुखतार खास,

बनाम

महलो पुत्र व गयो पुत्री खड़कू, ग्राम तरगंडा, परगना सियुन्ता, तहसील भटियात।

करमों पुत्र व तुसला पुत्री श्रीमती पर्यूगला, ग्राम तरगंडा, परगना सियुन्ता, तहसील भटियात।

दरखास्त तकसीम भूमि खाता नं0 171/237 किता 9 तादादी 10-8 बीघा, मौजा कामला, परगना सियुन्ता, तहसील भटियात।

उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को न्यायालय हजा से कई बार समन जारी हुये लेकिन उन पर तामील समन साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अत: फ्रीक दोयम को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा उपरोक्त म अदालत हजा में दिनांक 18-6-85 को प्रात: 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16 अप्रैल, 1985 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। अमर चन्द प्रेमी,
सहायक कुलैक्टर प्रथम श्रेणी,
भटियात (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री जी0 डी0 भाटिया, सब-रजिस्ट्रार, बड़सर

मनोज कुमार बनाम आम जनता।

उनवान :—तसदीक किये जाने वसीयतनामा दिनांक 7-1-85 मिन जानब बृज लाल, वासी बढ़नी, तप्पा वणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, बहक दुलम्बी देवी बेवा व अश्वनी कुमार मनोज कुमार पिसरान मुजहर जेर धारा 40/41 इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1908।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त उनवान बाला में श्री मनोज कुमार पुत्र बृज लाल वासी बढ़नी तप्पा बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ने एक वसीयतनामा मिन जानब बृजलाल पुत्र सूबा वासी बढ़नी, तप्पा वणी, तहसील बढ़सर बराये पंजीकृत पेश किया है। इस बारे में इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त वसीयतनामा के तसदीक होने में कोई उजर हो तो वह हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन दिनांक 24-5-85 को सुबह 10 बजे हाजिर आवें, अन्यथा वसीयतनामा पंजीकृत कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 12-4-85 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जी0 डी0 भाटिया,
सब-रजिस्ट्रार,
बड़सर, जिला हमीरपुर,
(हि0 प्र0)।

बअदालत श्री जी0 डी0 भाटिया सब-रजिस्ट्रार, बड़सर जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)

बमुकद्दमा :

धर्म सिंह उर्फ अजीत सिंह वल्द प्रभदयाल पुत्र घनैया, वासी समताना खुर्द, मौजा पंजाहड़ा, तहसील बड़सर।

बनाम

आम जनता।

दरखवास्त बाबत किये जाने तस्दीक वसीयत नामा मुतवफी प्रभदयाल पुत्र घनैया, वासी समताना खुर्द, मौजा पंजाहड़ा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, अधीन धारा 40/41 इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट।

सर्वसाधारण को बजरीया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री धर्म सिंह उर्फ अजीत सिंह पुत्र प्रभदयाल, वासी समताना खुर्द, मौजा पंजाहड़ा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर ने एक दरखवास्त दिनांक 15-2-1985 इस अदालत में दिनांक 25-2-1985 बराये तस्दीक किये जाने वसीयतनामा मृतक श्री प्रभदयाल, गुजारी है, जिस की आइन्दा तारीख समायत 27-5-85 मुकरर है। यदि किसी व्यक्ति को इस वसीयत के तसदीक किये जाने में कोई उजर हो तो वह दिनांक 27-5-1985 को प्रात: 10.00 बजे, अपना उजर (एतराज) हाजिर अदालत आ कर पेश करें बसूरत दीगर यानी बाद गुजरने तारीख पेशी (27-5-1985) कोई उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-3-1985 को मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से जारी हुआ।

जी0 डी0 भाटिया,
सब-रजिस्ट्रार, बड़सर,
जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)।

मोहर।

ब अदालत जनाब श्री एल0 आर0 वर्मा, तहसीलदार व अखत्यारात सब-रजिस्ट्रार हमीरपुर

मुकद्दमा नं0 3 आफ 19-1-85

मोती लाल पुत्र श्री कांशी राम, वासी चौकी कनकटी, तप्पा महलता, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर .. सायल।

बनाम

आम जनता मसूलअलैह।

दरखवास्त जेर धारा 40/41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट बराये रजिस्टर्ड करने वसीयत नामा मुतवफी श्री कांशो राम पुत्र दरोया राम, वासी चौकी कनकटी, मौजा महलता, तहसील हमीरपुर।

आम जनता नोटिस बनाम।

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरीया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सायल मोती लाल ने उपरोक्त वसीयत नामा मुतवफी श्री कांशी राम दिनांक 5-11-84 को रजिस्टर्ड करने हेतु गुजारा है। इस लिये अगर किसी को उपरोक्त वसीयत के तसदीक करने में कोई उजर हो तो अदालत हजा में असालतन या वकालतन दिनांक 1-6-1985 को सुबह 10 बजे हाजर आवें यदि निश्चित तिथि तक कोई उजर पेश न हुआ तो वसीयतनामा को तसदीक करने में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-4-85 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

एल0 आर0 वर्मा,
सब-रजिस्ट्रार, हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश।

मोहर।

ब अदालत जनाब श्री लक्ष्मी दत्त, नायब-तहसीलदार व अखत्यारात सब-रजिस्ट्रार, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)

मुकद्दमा नं0 4 आफ 29-1-1985

श्रीमती कमला देवी बेवा श्री पृथी चन्द, वासी करयाली, तत्पा मतिमोरियां, तहसील व जिला हमीरपुर .. सायला।

बनाम

आम जनता .. मसूलअलैह।

दरख्वास्त बराये रजिस्टर्ड करने वसीयत नामा श्री पृथी चन्द पुत्र श्री प्रभदयाल, वासी करयाली, मौजा मतिमोरियां, तहसील हमीरपुर जेर दफा 40 व 41 भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरीया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सायला ने उपरोक्त मुतवफी श्री पृथी चन्द ने जवाबी वसीयतनामा दिनांक 20-4-84 को जेर धारा 40 व 41 आफ इन्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत गुजारा है जिसकी अदालत हजा में तारीख पेशी 24-5-85 को है इस लिये अगर किसी को उपरोक्त वसीयतनामा के तसदीक होने में कोई एतराज हो तो अदालत हजा म दिनांक 24-5-85 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर आव। बसूरत दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-4-85 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

लक्ष्मी दत्त,
सब-रजिस्ट्रार, हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री टी0 एन0 शर्मा, उप-पंजिकाध्यक्ष, जोगिन्दर नगर

व मुकद्दमा :-

श्री भोला दत्त सुपुत्र श्री चुहड़ा राम, जाति राजपूत, निवासी बनोग, परगना द्रंगसिरा .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीक दोम।

दरख्वास्त जेर धारा 40-41 इन्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट बराये रजिस्टर्ड करवान वसीयत नामा।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानबाला में प्रार्थी ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि पोशू सुपुत्र गुरध्यान, जाति राजपूत, निवासी बनोग, ईलाका द्रंगसिरा, तहसील जो0 नगर, जिला मण्डी जो कि प्रार्थी का रिश्ता में हकीकी चाचा लगता था जो फौत होना पाया जाता है, ने एक वसीयतनामा मिति 9-10-80 को बहक प्रार्थी व प्रार्थी के हकीकी भाई सर्व श्री मोहन सिंह-जयसिंह के हक में तहरीर कर रखी है तथा प्रार्थना की है कि इस वसीयतनामा को रजिस्ट्रर्ड किया जावे।

अतः आम जनता को बजरिया गजट इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0 सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस वसीयतनामा को रजिस्ट्रर्ड करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह मिति 5-6-85 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर अपने-अपने उजर व एतराज पेश कर। उपरोक्त तिथि के पश्चात कोई भी उजर-एतराज मान्य नहीं होंगे। सूचित रहे।

आज मिति 1-5-85 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

टी0 एन0 शर्मा,
उप-पंजीकाध्यक्ष,
जोगिन्दरनगर (हिमाचल प्रदेश)।

अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री धन सुख टेगटा, तहसीलदार, पच्छाद, ब अखत्यार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी पच्छाद, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)

नं0 मी0 22/9

तारीख मरजूआ 10-8-84

उनवान मुकद्दमा-राम किशन पुत्र बिक्रम, सकना कांगट धरयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर .. सायल।

बनाम

गोपीराम, सन्तराम, भगत राम, विद्यादत्त सत्या राम, दया राम पुत्र नेत्र सिंह, राम गोपाल पुत्र जिया लाल, सकना कांगट धरयार मु0 राधा देवी बेवा ओंमदत बजाते खुद व वली सरप्रस्त श्री आदित्या दत्त नाबालगान पुत्र खुद साकिन कांगट धरयार, मेहर सिंह, बुध राम पुत्र भम्बु, सकना धरयार, तहसील पच्छाद .. फ्रीकसानियान।

दावा तकसीम अराजी भूमि खाता नं0 36/74 ता 83 कित्ते 119 तादादी 219-बी019 बि जमई, 33.34 माल सालाना वाका मौजा कांगट धरयार, तहसील पच्छाद, मुश्तरका मलकियती।

बनाम.—श्री बुध राम पुत्र भम्बू, राजपूत, वासी धरयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश .. फरीक दोम।

बमुकद्दमा उपरोक्त उनवानबाला में श्री बुध राम फ्रीकदोयम को कई बार समन जारी किये गए। समन रजिस्ट्री द्वारा भी भेजा गया। मगर उसकी तामील जाब्ता नहीं हो रही है। अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फ्रीकदोयम की तामील समन साधारण तौर पर करवाई जानी असम्भव है। अतः श्री बुध राम फ्रीकदोयम को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह बराए पैरवी मुकद्दमा तकसीम असालतन या वकालतन हमारे न्यायालय में मिति 25-5-85 को सुबह 10 बजे मुकाम सराहां हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज मिति 20-4-85 को हमारे दस्तखत व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

धन सुख टेगटा,
ब अखत्यार सहायक समाहर्ता,
प्रथम श्रेणी, पच्छाद, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय श्री एम0 एल0 नाहर, सब-रजिस्ट्रार धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री बलवन्त सिंह पुत्र स्वर्गीय अमर सिंह, वासी टीका सकोऊ, मौजा रीहलु, तहसील व जिला कांगड़ा ..सायल (वादी)

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त जेर धारा 40-41 भारतीय रजिस्ट्री विधान

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सायल (वादी) ने एक वसीयत नामा दिनांक 3-1-85 जो कि मृतका सेवा देवी बेवा बुधि सिंह, वासी सकोऊ, मौजा रीहलु, तहसील व जिला कांगड़ा न उस के हक में किया है तो बराए रजिस्टर करने पेश किया है अगर किसी व्यक्ति को उक्त वसीयत वादी के नाम रजिस्टर करने में कोई उजर हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में 3-6-85 को सुबह 10 बज उजरात दाखल कर सकता है। यदि निश्चित तिथि को कोई उजर पेश न हुआ तो कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-4-85 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एम0 एल0 नाहर,
सब-रजिस्ट्रार, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा।

बअदालत श्री चैत राम कैन्थला, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी (तकसीम), रोहड़ू, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बमुकदमा नम्बर 4-IX/85

प्रेम सुख पुत्र तारा चन्द, वासी बराल, परगना नावर, तहसील रोहड़ू ..सायल।

बनाम

मिसरू वगैरा वासी बराल, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ..फरीक दोयम।

दरख्वास्त तकसीम बाबत भूमि खसरा नम्बर हाल 1077 तादादी 0-10-21 व खसरा नम्बर 1073, 1078, रकबा तादादी 0-13-95 हैक्टर, खसरा नम्बर 1076 रकबा 0-13-91 बन्दोबस्तजदीद व खसरा नम्बर साबिक 450/324 रकबा तादादी 5-12 बीघा, वाका चक भडोली, तहसील रोहड़ू।

बनाम

1. दर्शनदास, 2. प्रमोद सिंह, 3. प्रशोतम सिंह, 4. रवीन्दर सिंह पुत्रगण सन्त राम, 5. हरबन्स, 6. हरदेव पुत्र 7. जमीला कुमारी, 8. हमीला कुमारी, 9. जयपती पुत्रीयां हरनाम सिंह, 10. रूंगली पुत्री अमरु असल, 11. मनी राम पुत्र 12. पसमू, 13. सलोचना पुत्रीयां तारा चन्द, वासी बराल, तहसील रोहड़ू ..फरीकदोयम।

उपरोक्त मुकदमा में फरीक दोयम उपरोक्त को न्यायालय हजा से कई बार समन जारी हुए लेकिन उन पर तामील साधारण तरीके से होनी कठिन है तथा न्यायालय को भी विश्वास हो गया है कि उन पर तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती। अतः उपरोक्त समस्त फरीक दोयम को बजरिया इश्तहार हजा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27-5-85 समय 10 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय हजा हो कर पैरवी मुकदमा करें, अन्यथा उन के विरुद्ध कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 11-4-85 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। चैत राम कैथला,
सहायक समाहर्ता,
प्रथम श्रेणी, रोहड़ू।

In the Court of Shri J. L. Chauhan, Sub-Judge 1st Class, Dehra, District Kangra, H.P.

Civil Suit No. 78/84

Bholu Ram *Versus* Sita Ram, etc.

1. Smt. Sewa Devi wd/o Milkhi Ram.
2. Satish Kumar and Subhash Kumar s/o Milkhi, Ram.
3. Ved Parkash and Balraj s/o Milkhi Ram.
4. Raj Kumari d/o Milkhi Ram.
5. Kamlesh d/o Milkhi Ram.

All residents of Karoa Kalar-Tappa, Gangot, Tehsil Dehra, District Kangra.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of this Court that the above mentioned defendents are evading the service of the summons and cannot be served in the normal course of the service. Hence this proclamation is hereby issued against the defendants to appear in this Court on the date fixed for hearing on 30-5-1985 at 10 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which *ex parte* proceedings will be taken against you.

Given under my hand and the seal of the Court today this the 2nd day of April, 1985.

J. L. CHAUHAN,
Seal. *Sub-Judge 1st Class, Dehra, District Kangra, H.P.*

Proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C.

In the Court of Shri M. D. Sharma, Sub-Judge 1st Class, Ghumarwin, District Bilaspur, H.P.

Civil Misc. Application No. 21/6 of 1983.

Shri Prem Singh s/o Durga Ram, r/o Pakhar, Pargana Baseh, at present posted as Havaldar in Garhwal as L.R. of Jaindu Ram s/o Kahnu r/o Pakhar, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur deceased. ...*Plaintiff/Applicant.*

Versus

Shri Gopala s/o Shaktia, r/o Jhijari, Tehsil Una, District Una, H.P and another ...*Defendants/Respondents.*

Suit for Declaration
Application u/o 22, rule 9(2) and 3 C P. C.

To

Shri Gopala s/o Shaktia,
r/o Jhijari, Tehsil Anandpur,
District Ropar (Punjab).

Whereas in the above noted suit/application, it has been proved to the satisfaction of this Court that the defendant/respondent above named is evading the service of the summons and he cannot be served in the normal course of service.

Hence this proclamation is hereby issued against him to appear in this Court on 25-5-1985 at 10.00 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the suit/application failing which an *ex parte* proceeding will be taken against him.

Given under my hand and the seal of this Court today, the 25th April, 1985.

M. D. SHARMA,
Seal. *Sub-Judge 1st Class, Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.).*

Proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C.

In the Court of Shri M. D. Sharma, Sub-Judge 1st Class, Ghumarwin, District Bilaspur, H.P.

Civil Suit No. 48/1 of 1980

Shri Jaindu s/o Kahnu s/o Lok r/o Village Pakhar Pargana Baseh, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. ..*Plaintiff.*

Versus

Shri Mast Ram s/o Ganga, r/o Village Dhani Pakhar, Pargana Baseh, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H.P. and 8 Others. ..*Defendants.*

Suit for Declaration

To

Mst. Kamla w/o Sukh Ram, r/o Village Rohal, Pargana Gehrwin, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, H.P.

Whereas in the above noted suit, it has been proved to the satisfaction of this court that the defendant above named

is evadiag the service of the summons and she can not be served in the normal course of service.

Hence this proclamation is hereby issued against her to appear in this Court on 25-5-1985 at 10.00 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the suit failing which an *ex parte* proceeding will be taken against her.

Given under my hand and the seal of this Court today, the 25th April, 1985.

M. D. SHARMA,
Sub-Judge 1st Class,
Ghumarwin, District Bilaspur, H.P.

Seal.

PROCLAMATION

In the Court of Shri Shamsher Singh, Chief Judicial Magistrate, Hamirpur

Case under section 125 Cr. P.C. No. 32/1984
Smt. Lilan Devi *Versus* Tara Chand.

Versus :

Tara Chand s/o Jalam Ram, r/o Kardoh, Tappa Galor Sub-Tehsil Nadaun, District Hamirpur.

Whereas in the above note case it has been proved to the satisfaction of this Court that the above named respondent can not be served in the ordinary course of service as he is evading the service of summons issued against him.

Hence this proclamation is hereby issued against him to appear in this Court on 11-6-1985 at 10 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failiag which he will be proceeded *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the Court this 23rd day of April, 1985.

SHAMSHER SINGH,
Chief Judicial Magistrate,
Hamirpur.

Seal.

इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0

ब अदालत जनाब कुलैक्टर सा0 सरकाघाट जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0 4 तारीख मरजूआ 9-4-1984

ब मुकद्मा :-

मेघ सिंह बनाम बृजू वगैरा।

अपील जेर धारा 14 भू0 रा0 अ0

बनाम : 1. बृजू पुत्र मोनी, (2) कांशी पुत्र मौमी (3) परमा पुत्र मसदी, (4) बंसी पुत्र मसदी (5) संगारू पुत्र गुरिया, निवासी टांधरी ई0 सुरांगा, (6) गीता पुत्री मौनी पत्नी हंस, निवासी मतलग, ई0 भदरोता, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0 प्र0

..फरीक दोयम।

मुकद्मा उपरोक्त में उपरोक्त फरीक दोयम को कई बार अदालत हजा से समन जारी किये गये मगर फरीक दोयम घर पर दस्तेयाब नहीं हो रहे हैं। इस से अदालत हजा को पूण विश्वास हो चुका है कि फरीक दोयम पर तामील समन साधारण तारीका से होनी कठिन हैं। अत : उपरोक्त समस्त फरीक दोयम को इस इश्तहार जेर आर्डर 5 रूल 20 सी0 पी0 सी0 द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 27-5-85 समय 10 बजे सुबह अदालत हजा में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर पैरवी मुकद्मा करें अन्यथा कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 25-4-1985 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/-
कुलैक्टर समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सब-डिवीजन सरकाघाट।

मोहर।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

शून्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

शून्य

अनुपूरक

शून्य

PART II

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Palampur, the 13th May, 1985

No. SEV/WS/LA-PLP-82/83.—The following amendments are hereby made in the notification issued under section-IV of Land Acquisition Act, 1894 *vide* No. SEV/WS/LA/PLP/82-83-2040-43 dated 5-5-83 published in H. P. Rajpatra dated 25-3-85.

Mohal	*Please read*		*For*	
	Khasra No.	Area	Khasra No.	Area
1	2		3	4
SUJA	46/1	0 00 85	45/1	0 00 85
SUJA	450/1	0 00 59	450/1	0 00 99
KEORI	1196/1	0 00 26	1196/14	0 00 26

R. C. KALIA,
Superintending Engineer,
5th Circle, H.P. P.W.D, Palampur,

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।